



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 794) पटना वृहस्पतिवार 16 जुलाई 2026

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
14 जुलाई 2026

सं० 08/नीति(बेतिया राज) अधिसूचना-07-09/2026/256 (8)/रा०—बेतिया राज की सम्पत्तियों को राज्य में निहित करने हेतु बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 23, 2024) प्रवृत्त है। उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला नियमावली, 2026 अधिसूचित है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-3(2) के आलोक में बेतिया राज की संपत्तियाँ जो बिहार राज्य में निहित हो चुकी है एवं जो गोपालगंज जिला में अवस्थित है, का विवरण अंकित करते हुए राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोपालगंज	गोपालगंज सदर	भोजली	498	2	312	15.56
2	गोपालगंज	गोपालगंज सदर	रामपुर टेंगराही	500	2	4408	2.38
3	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	237	131	2.39
4	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	237	209	2.31
5	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	237	212	7.68

क्र० सं०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	261	206	0.39
7	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	261	207	0.83
8	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	261	208	0.98
9	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	261	210	0.42
10	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	450	1159	2.58
11	गोपालगंज	कटेया	गौरा	468	450	1160	0.06
सत्यातिप कुल रकबा							35.58

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 794-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>